

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम, राजस्थान
“ पशु आश्रय हेतु आवेदन पत्र ”

1. पशुपालक का नाम
2. जॉब कार्ड संख्या
3. पिता/पति का नाम
4. ग्राम ग्राम पंचायत प.सं.
5. निर्माण स्थल की जमीन का विवरण:- अ.कृषि भूमि की अवस्था में छासरा नं. रकबा हैकटे.
 ब. निवास स्थान (आबादी) की अवस्था में :- पट्टाधारक के नाम
 यदि निर्माण स्थल की जमीन का पट्टा आवेदक के नाम नहीं है तो विवाद रहित प्रस्तावित
 निर्माण स्थल की भूमि का ब्यौरा

शपथ - पत्र

मैं पशु पालक श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री
 निवासी ग्राम ग्रा.प. पंचायत समिति.....
 जिला जयपुर शपथपूर्वक बयान करता/करती हूं कि :-

1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सत्य है तथा असत्य पायी जाने पर इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं।
2. कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर - मेरा स्वयं का मालिकाना हक है इसमें अन्य किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी नहीं है/यदि मालिकाना हक नहीं है, तो मूल खातेदार से उत्तराधिकारी के संबंध का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित मय जमांबंदी एवं नक्शा ट्रेस/पट्टे की प्रति संलग्न है।
3. उक्त भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। विवाद होने की स्थिति में कार्य पर हुआ व्यय मेरे से वसूली योग्य रहेगा। प्रस्तावित जमीन चरागाह/जोहड़ पायतन/राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का स्थान नहीं है।
4. प्रस्तावित कार्य मेरे पशुधन के लिए लाभप्रद है इससे मेरे पशु सुरक्षित, स्वस्थ व संक्रमण मुक्त रहेंगे तथा उनका मूल-मूत्र आदि अधिक दक्षतापूर्वक एकत्र किया जायेगा। कार्य रथ-रथाव एवं समुचित उपयोग की व्यवस्था मेरे स्वयं के द्वारा की जायेगी, इसके लिए पृथक से राशि की मांग नहीं करूंगा।
5. निर्माण हेतु मेरे पास (किसम पशुधन) संख्या है। उनके आश्रय निर्माण के लिये आवश्यक न्यूनतम आनुपातिक कठौती हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य पूर्व में मेरे द्वारा किसी अन्य योजना में नहीं करवाया गया है।
7. मैं महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत जॉब कार्ड धारक परिवार हूं तथा मेरी उक्त भूमि पर स्वीकृत होने वाले कार्य पर श्रमिक नियोजन ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जायेगा। तथा मैं स्वयं भी इस पर कार्य करूंगा।
8. योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने वाली राशि के संबंध में सहमति पत्र संलग्न है। (यदि आवश्यक हो तो संलग्न किया जावे)

हस्ताक्षर आवेदक

प्रार्थी के भूमि स्वामित्व बाबत प्रमाण-पत्र (कृषि भूमि पर निर्माण की अवस्था में)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री/श्रीमती पत्नि/पिता
..... जाति ग्राम ग्राम पंचायत ..
..... क्षेत्र के सामलात खातों में नोशनल शेयर/खातों से रिकार्ड के आधार पर
..... हैक्टर भूमि का स्वामी है।

हस्ताक्षर पट्टवारी (मय पद एवं नाम) ग्राम पंचायत :

पशुधन सहायक का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री/श्रीमती पति/पिता
..... जाति ग्राम ग्राम पंचायत
..... के आवेदन पत्र में वर्णित पशुधन का मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित कार्य
मौके पर सम्पादित नहीं है तथा कराया जाना आवश्यक है। प्रस्तावित कार्य से पशु सुरक्षित, स्वस्थ व
संक्रमणमुक्त रहेंगे तथा उनका मल-मूत्र आदि अधिक दक्षतापूर्वक एकत्र किया जायेगा।

हस्ताक्षर पशुधन सहायक
दिनांक : (मय पद एवं नाम)

ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का रिकार्ड से सत्यापन किया गया तथा उपरोक्त वर्णित तथ्य सही पाए गए। उक्त आवेदक महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्वर्गत अपना खेत अपना काम दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करता है। अतः इसकी भूमि पर कार्य कराए जाने की अभिषंखा की जाती है।

दिनांक

सरपंच
(मय पद एवं नाम)

हस्ताक्षर ग्राम सेवक (मय पद एवं नाम)

ग्रा.पं. ग्रा.पं.

कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री/श्रीमती पति/पिता ..
..... जाति ग्राम ग्राम पंचायत
..... की पात्रता की जांच कर ली गई है, जो सही है। अतः प्रार्थी के आवेदन पत्र
एवं पटवारी, पशुधन सहायक एवं ग्राम पंचायत की प्राप्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजों के आधार पर
महात्मा गांधी नरेगा योजनाक्तर्गत (आश्रय नाम)..... निर्माण की वित्तीय स्थीकृति जारी की
जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रार्थी की पात्रता संबंधी समस्त मूल दस्तावेज पंचायत समिति की
कार्यालय प्रति में संघारित कर लिये गये हैं।

दिवांक : १

कार्यक्रम अधिकारी (ईंजीएस)
पंचायत समिति
जिला जयपुर।

पशु आश्रय स्थल निर्माण
आपसी सहमति हेतु शपथ - पत्र

हम निम्नलिखित पशु पालक निवासी ग्राम

ग्रा.प. पंचायत समिति जिला जयपुर

शपथपूर्वक निम्नानुसार आपसी सहमति हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं :

क्र.सं.	पशुपालक का नाम	पिता का नाम	जाति	आयु
1				
2				
3				
4				

1. यह है कि पशु आश्रय स्थल के लिए प्रस्तावित भूमि आबादी भूमि है/कृषि भूमि ख.नं. रकबा हैक्टेयर मे स्थित है।
2. यह है कि उक्त भूमि एकल स्वामित्व की आबादी/कृषि भूमि है।
3. यह है कि उक्त भूमि सामूहिक स्वामित्व की आबादी भूमि/संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है।
4. यह है कि हम उक्त सामूहिक स्वामित्व की आबादी भूमि/संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर आवास कर रहे हैं, अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है।
5. यह है कि हम उक्त सामूहिक स्वामित्व की आबादी भूमि/संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को मौके पर आपसी सहमति से बंटवारा कर आवास कर रहे हैं, अपने-अपने हिस्से की भूमि पर पशु आश्रय स्थल बनाने पर हम सब सहमत हैं तथा हमें एक-दूसरे के हिस्से पर पशु आश्रय स्थल बनाने में कोई आपत्ति नहीं है।
6. यह है कि पशु आश्रय स्थल निर्माण के लिए 60:40 श्रम एवं सामग्री का अनुपात संघारित करने के लिए अपने-अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में मेडबंदी अथवा भूमि समतलीकरण कराने के लिए सहमत हैं।
7. यह है कि पशु आश्रम स्थल निर्माण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक राशि व्यय होने की स्थिति में, निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने वाली राशि को वहन करने हेतु सहमत हैं।

सत्यापन

हम निम्नलिखित पशु पालक निवासी ग्राम
 ग्रा.प.पंचायत समिति..... जिला जयपुर
 सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त 1 लगायत 7 हमारी निजी जानकारी के अनुसार सही व
 सत्य है।

क्र.सं.	पशुपालक का नाम	पिता का नाम	जाति	आयु
1				
2				
3				
4				

1 हस्ताक्षर आवेदक 2 हस्ताक्षर आवेदक 3 हस्ताक्षर आवेदक 4 हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ताओं ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उपरोक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसका प्रमाणीकरण किया जाता है।

हस्ताक्षर मय सील

(नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिशनर)